भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2092

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>विदेशी कंपनियों का नामांकन</u>

2092. श्री आर. पार्थिपन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और ऑन लाइन व्यापार करने वाली सभी विदेशी कंपनियों को उत्तरदायी बनाने के लिए क्या रजिस्ट्रार आफ कंपनी के पास नामांकन अनिवार्य बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(42) के अधीन परिभाषित प्रत्येक विदेशी कंपनी के लिए इस अधिनियम की धारा 380 के अनुसार भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने के 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के पास अपना पंजीकरण कराना अपेक्षित है। ऐसी विदेशी कंपनियों में वे कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनिक मोड से भारत में व्यवसाय स्थान स्थापित किया है।

*****